ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या–01, नॉलेज पार्क–04
ग्रेटर नौएडा सिटी

पत्रांक–ग्रेनो/GHS/2021/1981
दिनांक–03 फरवरी 2021

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 121वीं बोर्ड बैठक के अनु01 मद संख्या 121/11 में ग्रुप हाउसिंग सोसाटियों के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड एवं भवन के आवंटियों पर सोसाटियों द्वारा अधिरोपित 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की देयता की प्रतिपूर्ति के उपरान्त एकल सबलीजी के हस्तांतरण किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार नीति प्रख्यापित की जाती हैं।

1. इस प्रकार के प्रकरण जिनमें आवंटी समिति द्वारा 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा उनके सदस्यों द्वारा सबलीज उपरान्त अपना भूखण्ड/भवन किसी अन्य के पक्ष में विक्रय कर दिया है। ऐसे प्रकरणों में आवंटी समिति, प्राधिकरण से जारी 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की वर्तमान देयता के अनुसार, विक्रेता (सबलेसी) से 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की वसूली करेगें तथा प्राधिकरण की अधिकृत बैंक में जमा कराकर सबलेसी के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र व जमा चालान की छायाप्रति प्राधिकरण में उपलब्ध करायेगें जिस पर संबंधित विभाग द्वारा जमा धनराशि की पुष्टि करते हुयें विक्रेता (सबलेसी) को अन्तरण पत्र जारी करने के साथ ही आवंटी समिति को रिवाईज 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर पत्र जारी करेंगें।

2. जिन समितियो के प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा 64.07 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की देयता हेतु जारी पत्र पर रोक लगायी गयी है उन प्रकरणो में यदि आवंटी समिति के सबलेजी किसी अन्य को भूखण्ड/भवन का हस्तांतरण करते है तो ऐसे प्रकरणो में सबलेजी/अन्तिरिकी द्वारा 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की देयता हेतु रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जाये कि 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर की देयता के सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर पर जो भी दरो के लिये, निर्णय लिया जायेगा, वह आवंटी समिति/सबलीजी को मान्य होगा तथा तत्समय देयता के अनुसार जमा करना होगा।

उक्त कार्यालय आदेश प्राधिकरण बोर्ड की 121वीं बैठक में लिये गये अनुमोदन के क्रम में जारी किया जा रहा है।

Signed by
Deep Chandra
ACEO IAS
03/02/21 16:01:10
(दीप चन्द्र)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ ऑफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. उप महाप्रबन्धक (सम्पत्ति), ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण।
3. प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु। F.T.S-8999

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी